Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure compliance of the Ministry of Defence circular regarding re-development of the buildings located near Defence Establishments.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन में फिर एक बार उठाने का प्रयास कर रहा हूं । वर्ष 2012 से आज वर्ष 2019 तक 7 साल पूरे हो गए, देश के विभिन्न भागों में जहां डिफेंस एस्टैबलिशमेंट है, उसके अगल-बगल, प्राइवेट लैंड पर, डिफेंस के लैंड पर नहीं, डेवलपमेंट के सारे काम बंद पड़े हुए हैं, खासकर मुम्बई शहर में । वर्ष 2012 के बाद हमारी सरकार आई है । मैंने और किरीट सोमैया जी, दोनों ने मिलकर कॉलिंग अटेंशन मोशन मूव किया था, पर्रिकर जी द्वारा इसमें मदद करने के बाद वर्ष 2016 में सर्कुलर निकला और काम शुरू हो गए । स्व.पर्रिकर जी ने जो सर्कुलर निकाला, जीआर निकला उसमें तीनों अंगों नेवी, आर्मी और सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो के बारे में उल्लेख था । इसके बावजूद अभी भी टेक्निकल मुद्दे को पकड़कर नेवी एस्टैबलिशमेंट के लोगों ने काम शुरू करने के परमिशन को रोक रखा है । मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ यहां कहना चाहता हूं कि लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने इसका डिसीजन भी दे दिया कि जब वर्ष 2016 के सर्कुलर में इसके बारे में उल्लेख है तो डिफेंस एस्टैबलिशमेंट के ऑफिसर इसमें रूकावट क्यों पैदा करते हैं । इसके बाद भी आज की तारीख तक, मैं आपको बहुत दु:ख के साथ कहना चाहूंगा कि सात सालों में लोगों के घर टूट गए जिनके खुद के मकान थे, वहां की कार्पोरेशन बॉडी ने री-डेवलपमेंट का परमिशन दिया, लोग शिफ्ट हो गए, उन्हें भाड़ा देना भी बंद कर दिया गया है । लोगों के हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं । यह अच्छा नहीं लगता है । इस देश में किसान तो आत्महत्या करते ही है, लेकिन डिफेंस एस्टैबलिशमेंट के आस-पास रहने वालों की स्थिति भी आज यहां तक आ पहुंची है । मैं इस बात से हैरान हूं, आपको पता है कि प्राइवेट मेम्बर बिल के माध्यम से दो बार यहां हाफ एन ऑवर डिस्कशन भी हुआ था । मैं सुभाष भामरे जी का नाम यहां पर कोट करना चाहूंगा, उन्होंने

यहां पर आश्वासन दिया था, फिर मैंने उस बिल को विद्ड्रा कर लिया था । इस बारे में फाइल पर नोटिंग है । डिफेंस सेक्रेटरी ने इसकी अनुमति भी दी है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या चकरी चल गई, यह काम आज तक बंद पड़ा हुआ है । आज तक इसके लिए परमिशन नहीं दी जा रही है । मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि पर्रिकर साहब ने जो वर्ष 2016 का सर्कुलर निकाला था, उस सर्कुलर में तीनों अंगों के नाम उल्लेखित हैं । ऐसे सारे लोगों को तुरंत डेवलपमेंट की परमिशन दी जाए । प्राइवेट लैंड पर । इसमें डिफेंस का कोई लेना-देना नहीं है । इस बात की मैं फिर से एक बार मांग करता हूं ।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल श्रीमती गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।